

प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 30/ 2021)

तत्काल जारी करने के लिए


## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड इन्हांस्ट ब्रॉडबैंड स्पीड' पर पूरक परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु समय का विस्तार।

नई दिल्ली, 01.06.2021- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 19.05.2021 को 'रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड इन्हांस्ट ब्रॉडबैंड स्पीड' पर एक पूरक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तारीख दिनांक 03 जून 2021 तक और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, दिनांक 10 जून 2021 तक थी।

2. उद्योग संघ/ हितधारकों ने 'रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड इन्हांस्ट ब्रॉडबैंड स्पीड' पूरक परामर्श पत्र पर अपनी टिप्पणी भेजने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून 2021 तक तथा यदि कोई प्रति-टिप्पणियां हो तो अंतिम तिथि 17 जून 2021 तक, बढ़ा दी गयी है। आगे विस्तार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल द्वारा [advbbpa@traai.gov.in](mailto:advbbpa@traai.gov.in) पर भेजेँ और कॉपी [ja3-nsl@traai.gov.in](mailto:ja3-nsl@traai.gov.in) को भेजेँ। किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री सुनील कुमार सिंघल, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण) से टेली. नंबर +91-11-23221509 पर संपर्क करें।

  
(राजीव सिन्हा) 01/06/2021

सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा